रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 524] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 23, 1971/कार्तिक 1, 1893
No. 524] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 23, 1971/KARTIKA 1, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

CORRIGENDA

Income-tax

New Delhi, the 16th October, 1971.

S. O. 4039.—In the notification of the Central Board of Direct Taxes No. S. O. 2272 dated the 31st May, 1971, published at pages 2239—2242 of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (*ii*), dated the 1st June, 1971,—

1. at page 2239,—

(*i*) in line 16, *for* ";" *read* "," ;

(*ii*) in line 18, *for* "." after the word ' rules ' *read* "," ;

2. at page 2240,—

(*i*) *for* lines 23 to 31, *read*

"(*a*) where such structure is constructed or such work is done by way of renovation or improvement to any such building;	The percentage specified against sub item 1, 2, 3 or 4 as may be appropriate to the class of building in or in relation to which the renovation or improvement is effected
(*b*) where the structure is constructed or the work is done by way of extension to any such building.	The percentage specified against sub item 1, 2, 3 or 4 as would be appropriate if the structure or work constituted a separate building.". " ;

(*ii*) in line 33, *for* " under " *read* " Under ";

(*iii*) in line 34, *for* " under " *read* " Under ";

(*iv*) in line 43, *for* "life" *read* " the ";
(*v*) in line 48, *for* [':'] *read* [";] ;

3. at page 2241,—
(*i*) in line 3, *for* [';'] *read* [";];
(*ii*) in line 16, *omit* ",".

[No. 290/F. No. 142(9)/71-TPL]

R. R. KHOSLA, Secy.
Central Board of Direct Taxes.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

शुद्धि-पत्र

आयकर

नई दिल्ली, 16 अक्तबर, 1971

का० आ० 4039.—मंगलवार, 1 जून, 1971 को, भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित, दिनांक 31-5-1971 की अधिसूचना संख्या का० आ० 2272 में निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं :—

(1) पृष्ठ 2242 पर नीचे से दूसरी पंक्ति में "औद्धोगिक" के स्थान पर "औद्योगिक" पढ़ा जायगा।

(2) पृष्ठ 2243 पर तीसरी पंक्ति में "प्रकासन" के स्थान पर "प्रकाशन" पढ़ा जायगा।

(3) उसी पृष्ठ पर 12वीं पंक्ति में "का प्रतियों" के स्थान पर "की प्रतियों" पढ़ा जायगा।

(4) उसी पृष्ठ पर पैराग्राफ 8 का प्रथम शब्द "धान" के स्थान पर "प्रधान" पढ़ा जायगा।

(5) उसी पृष्ठ पर पैराग्राफ 9 की प्रथम पंक्ति में "परिशिष्ठ" के स्थान पर "परिशिष्ट" पढ़ा जायगा।

(6) उसी पृष्ठ पर पैराग्राफ 9(ग)(i) की प्रथम पंक्ति में और द्वितीय पंक्ति में भी "संख्यांकित" के स्थान पर "संख्याकित" पढ़ा जायगा।

(7) पृष्ठ 2244 पर पैराग्राफ (घ) (i) का पहला शब्द "परा" के स्थान पर "पैरा" पढ़ा जायगा।

(8) उसी पैराग्राफ की प्रथम पंक्ति में और द्वितीय पंक्ति में भी "संख्याकित" के स्थान पर "संख्यांकित" पढ़ा जायगा।

(9) पृष्ठ 2245 पर पैराग्राफ (i) की तीसरी पंक्ति में "उपात" के स्थान पर "उपगत" पढ़ा जायगा।

(10) उसी पैराग्राफ की चौथी पंक्ति में "मोके" के स्थान पर "मोक" पढ़ा जायगा।

(11) उसी पैराग्राफ की छठी पंक्ति में "मो की" के स्थान पर "मोक" की" पढ़ा जायगा।

(12) उसी पैराग्राफ की सातवीं पंक्ति में "1 म" के स्थान पर "1 में" पढ़ा जायगा।

(13) उसी पृष्ठ पर पैराग्राफ (ii) की दूसरी पंक्ति में "किया जा रह है" के स्थान पर "किया जा रहां है" पढ़ा जायगा।

(14) उसी पैराग्राफ की चौथी पंक्ति में अंतिम अक्षर "के" को निकाल दिया जायगा।

(15) उसी पृष्ठ पर पैराग्राफ (iv) की प्रथम पंक्ति में "तकनीशों" के स्थान पर "तकनीकज्ञों" पढ़ा जायना।

(16) उसी पैराग्राफ की दूसरी पंक्ति में "तकनीक की" के स्थान पर "तकनीकज्ञ" पढ़ा जायगा।

(17) उसी पैराग्राफ की पांचवीं पंक्ति में "परिषद्" के बाद अर्ध-विराम (,) लगाया जायगा।

(18) उसी पैराग्राफ की अन्तिम पंक्ति में अंत में "है" शब्द जोड़ दिया जायगा

(19) उसी पृष्ठ पर पैराग्राफ (v) की चौथी पंक्ति में "शक्तियों" के स्थान पर "शास्तियों" पढ़ा जायगा।

(20) उसी पैराग्राफ की छठी पंक्ति में "आथवा" के स्थान पर "अथवा" पढ़ा जायगा।

(21) पृष्ठ 2246 पर तीसरी पंक्ति में "जाते है" के स्थान पर "जाने है" पढ़ा जायगा।

[सं० 291/फा० स० 142(9)71–टी० पी० एल०]

आर० आर० खोसला, सचिव।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971